शिखर सम्मेलन: *गर्ल्स नॉट ब्राइड्स: द ग्लोबल पार्टनरशिप टू एंड चाइल्ड मैरिज* और 124 संगठन जो बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में काम करते हैं (परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं) उनकी ओर से

वेबसाइट: www.girlsnotbrides.org

केंद्र बिंदु: जॉर्जियाना इप्योर, वरिष्ठ पैरवी और अभियान अधिकारी, Georgiana.Epure@girlsnotbrides.org

---

बाल विवाह रहित भविष्य की ओर
भविष्य के समझौते को सूचित करने के लिये एक लिखित बयान

चूंकि भविष्य का शिखर सम्मेलन वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का जवाब देने का प्रयास करता है, इसे अपने विचार-विमर्शों में, हमारी दुनिया के सामने आने वाले जटिल मुद्दों के निदान और समाधानों की पहचान करने में वैश्विक मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिये जो बाल, प्रारंभिक और जबरन विवाह और मिलन (यूनियन) ("CEFMU", "बाल विवाह") का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हर वर्ष, दुनिया भर में 1.2 करोड़ (12 मिलियन) लड़कियों की शादी हो जाती है या वे विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। दुनिया भर में बाल विवाह में गिरावट के बढ़ते प्रमाणों के बावजूद, इस तरह की प्रगति में तेजी लाने की सख्त ज़रूरत है ताकि सतत विकास हासिल किया जा सके और बाल विवाह को समाप्त करने की चुनौती को आने वाली पीढ़ियों पर न थोपा जाये। जब तक हम अपने प्रयासों में तेजी नहीं लाते, 2030 तक 15 करोड (150 मिलियन) और लड़कियाँ शादी कर लेंगी या एक मिलन (यूनियन) में प्रवेश कर लेंगी, और इस प्रथा को समाप्त करने में अगले 300 वर्ष लगेंगे।

CEFMU मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है और एक वैश्विक मुद्दा है जो सीमाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों के पार जाता है। बाल विवाह के प्रचलन में विभिन्न देशों के अंदर और बाहर बहुत भिन्नताएं हैं, जो लड़कियों के जीवन, उनके बच्चों के जीवन, उनके समुदायों और समग्र रूप से हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। एक बहुआयामी और वैश्विक सामाजिक मुद्दे के रूप में, भविष्य के लिये समझौते में बाल विवाह को संबोधित किया जाना चाहिये और इसमें महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने पर ध्यान देने के साथ मानव अधिकारों और जेंडर समानता की प्राप्ति के लिये आमूलचूल कार्यवाही और निवेश करना शामिल होना चाहिये।

भविष्य के लिये समझौते में बच्चों, कम उम्र में और जबरन विवाह और मिलन (यूनियन) को समाप्त करने की कार्यवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिये:

1. **अध्याय 1: सतत विकास और विकास के लिये वित्त पोषण (फ़ाइनेंसिंग)**

वास्तविक, दीर्घकालिक, सतत विकास प्राप्त करने के लिये बाल विवाह रोकने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। एसडीजी का लक्ष्य 5 जेंडर समानता पर केंद्रित है और इसमें 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का

लक्ष्य शामिल है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के परिणाम एसडीजी 5 से आगे तक पहुँचते हैं। यदि हम बाल विवाह को समाप्त करने के लिये बड़े कदम नहीं उठाएंगे तो हम कम से कम नौ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा नहीं कर पाएंगे। इनमें गरीबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर समानता, आर्थिक विकास, जलवायु कार्यवाही, शांति और न्याय और स्वास्थ्य से जुड़े एसडीजी शामिल हैं। **इसके लिये अन्यायपूर्ण जेंडर मानदंडों को बदलने, लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं - विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने - के लिये लगातार, पर्याप्त और लक्षित वित्तीय निवेश की आवश्यकता है - जो कि लड़कियों और युवा महिलाओं पर पड़ने वाले अनुपातहीन अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों को समाप्त करता है, गरीबी, सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करता है, और - महत्वपूर्ण रूप से - वित्त पोषण बढ़ाना शामिल है जो नारीवादी युवा नेतृत्व वाले संगठनों, नेटवर्क और ज़मीनी स्तर के समूहों के लिये सुलभ हो।**

यह पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियाँ, संघर्षों और जलवायु संकट का समाधान खोजने के लिये नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं, जो भेदभाव के कई और अंतरविभाजक (इंटरसेक्टिंग) रूपों का सामना करने वाली आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जो सतत विकास; जेंडर समानता; हमारे समुदायों का सामाजिक और आर्थिक विकास; और मानव अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति में बाधा डालती हैं। युवा लोग विशेष रूप से इन चुनौतियों से असंगत रूप से प्रभावित होते हैं जो उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं - जिसमें यह निर्णय भी शामिल है कि कब और किससे शादी करनी है - जिसका प्रभाव उनके शेष जीवन पर पड़ता है।

2. अध्याय 2: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा इस बात का पूर्वसूचक है कि समाज संघर्ष के प्रति कितना संवेदनशील है। इसलिए बाल विवाह और जेंडर असमानता को संबोधित करना शांति और सुरक्षा की समग्र अवधारणा की कुंजी है। जबकि बाल विवाह एक वैश्विक मुद्दा है, संघर्ष और संकट की स्थिति में बाल विवाह के जोखिम कारक काफी बढ़ जाते हैं। नाजुकता के संदर्भ में बाल विवाह की दर वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है और बाल विवाह की उच्चतम दर वाले दस में से आठ देश मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी बाल विवाह और जेंडर आधारित हिंसा के मुख्य प्रेरकों के अधिक व्यापक रूप से बढ़ने के कारण हुई है। उदाहरण के लिये, संघर्ष-प्रभावित परिवेश (सेटिंग्स) में किशोर लड़कियों को यौन हिंसा और बाल विवाह का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ती हिंसा और असुरक्षा के कारण लड़कियों के खिलाफ भेदभाव करने वाले सामाजिक मानदंड और भी बदतर हो गये हैं। असुरक्षा के समय में व्यक्तिगत, औपचारिक और प्रथागत सहायता प्रणालियों के टूटने से यह और बढ़ जाता है।

जलवायु संकट मौजूदा असमानताओं को भी बढ़ाता है, विस्थापन को बढ़ाता है, और दुर्लभ संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, संघर्ष और बाल विवाह का खतरा और बढ़ जाता है। जलवायु संकट के प्रभावों से लड़कियाँ असमान रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे स्कूल छोड़ने और शादी के लिये मज़बूर होने की संभावना अधिक होती है। जहाँ अलग-अलग संकट मिलते हैं या जहाँ लड़कियों को हाशिए पर जाने के कई अंतरविभाजक (इंटरसेक्टिंग) रूपों का सामना करना पड़ता है, वहाँ बाल विवाह के खतरे और भी बढ़ जाते हैं, और शादी के बाद लड़कियों को समर्थन मिलने की संभावना कम हो जाती है।

बाल विवाह की रोकथाम और प्रतिक्रिया को सभी मानवीय मूल्यांकन रणनीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिये, जिसमें संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम, शमन और प्रतिक्रिया रणनीतियाँ शामिल हैं। महिलाओं और लड़कियों को रोकथाम, समाधान और शांति निर्माण में बड़ी भूमिका देने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने की ज़रूरत है। इन कदमों में ऐसी रणनीतियाँ शामिल होनी चाहिये जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और मानव अधिकारों के उल्लंघन को कम करें, रोकें और प्रतिक्रिया दें। इसके लिये अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर प्रतिबद्ध भागीदारी, योजना, वित्त पोषण और निगरानी की आवश्यकता है।

3. **अध्याय 3: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और डिजिटल सहयोग**

वैज्ञानिक प्रगति और उसके अनुप्रयोगों के लाभों का आनंद लेना एक मानव अधिकार है। इसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है, फिर भी दुनिया भर में लाखों लड़कियाँ और महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का लाभ नहीं उठा सकती हैं क्योंकि वे शारीरिक और / या वित्तीय बाधाओं, कलंक और गर्भ निरोधक के उपयोग पर अपने अंतरंग साथी (पार्टनर) के साथ बातचीत करने में बराबर का अधिकार न होने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। यह बाल विवाह का एक प्रमुख प्रेरक / चालक है और उन लड़कियों और महिलाओं की एक बड़ी अधूरी ज़रूरत को दर्शाता है जो पहले से ही शादीशुदा हैं या विवाह जैसे अनौपचारिक संबंध में हैं।

दस में से नौ किशोरियों के प्रसव विवाह के संदर्भ में होते हैं, और किशोरावस्था में गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित जटिलताएं दुनिया भर में किशोर लड़कियों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से हैं। कई संदर्भों में, गर्भवती होने वाली किशोरियों पर शादी के बिना बच्चे पैदा करने से जुड़े कलंक से बचने के लिये शादी करने या विवाह जैसे संबंध में शामिल होने के लिये दबाव डाला जाता है। लाखों लड़कियों और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली मिल सकती है अगर उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिले। किशोर लड़कियाँ गर्भवती होने में देरी कर सकती हैं, और वे मज़बूर होने के बजाय गर्भवती होने का विकल्प चुन सकती हैं। इससे लड़कियों की बचपन में शादी होने का एक मुख्य कारण दूर हो जायेगा और यदि वे चाहें तो उनके लिये इसे छोड़ना आसान हो जायेगा।

बाल विवाह को समाप्त करने के लिये लड़कियों और युवा महिलाओं के लिये आधुनिक गर्भनिरोधक और यौन **एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच की सुविधा और सामर्थ्य में सुधार करना प्राथमिकता होनी चाहिये। इसके साथ लड़कियों की STEM विषयों तक पहुँच और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी बढ़ाया जाना चाहिये ताकि लड़कियाँ स्कूल में रहें और सुरक्षित भुगतान वाले रोजगार में जा सकें। बाल विवाह को समाप्त करने में तेजी लाने के लिये, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना एक आवश्यकता है; इससे इस हानिकारक प्रथा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वास्तविक समय और भरोसेमंद जानकारी प्राप्त करने के लिये विश्वसनीय चैनलों के माध्यम से सहायता सेवाओं तक पहुँच की सुविधा मिलेगी।**

4. **अध्याय 4: युवा और भावी पीढ़ियाँ**

CEFMU जेंडर असमानता में निहित एक वैश्विक मुद्दा है, जो लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लगभग आधी लड़कियाँ जो विवाहित हैं या वर्तमान में एक विवाह जैसे अनौपचारिक सबंध में हैं, दक्षिण एशिया में रहती हैं - 20% पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका में, 15% पूर्वी एशिया और प्रशांत में और 9% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में रहती हैं।

2050 तक दुनिया के एक तिहाई से अधिक युवा अफ्रीका में रहेंगे। जबकि इस तरह की जनसांख्यिकीय वृद्धि विकास की बड़ी संभावनाओं के साथ आती है, यह युवा लोगों के अधिकारों की रक्षा में बड़े जोखिमों को भी उजागर करती है - विशेष रूप से लड़कियों और युवा महिलाओं के - और विशेष रूप से शिक्षा के अधिकार और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के संबंध में। यदि पिछले दस वर्षों का रुझान (पैटर्न) जारी रहता है, तो यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका में बाल विवाह का प्रचलन 2030 तक 41% तक बढ़ जायेगा, जो वर्तमान में 35% है।

CEFMU प्रथाएं विभिन्न संदर्भों में अलग दिखती हैं और समय के साथ बदल गई हैं, खासकर लैटिन अमरीका और कैरेबियन जैसे क्षेत्रों में, जहाँ प्रथा अक्सर विवाह जैसे अनौपचारिक संबंधों का रूप लेती हैं। बाल विवाह के प्रचलन के मामले में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका के बाद लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के दूसरे स्थान पर आने की उम्मीद है। जबकि कई देशों में लड़कियों को विवाह और / या विवाह जैसे अनौपचारिक सबंध के लिये मज़बूर किया जाता है, अन्य देशों में विवाह जैसे अनौपचारिक सबंध अधिकांश स्पष्ट रूप से सहमति देने वाले किशोरों के बीच होते हैं, हालाँकि किशोरों से जुड़े ऐसे मिलन / विवाह का किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार के अवसरों और आर्थिक स्वतन्त्रता की पहुँच पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लड़कियों और युवा महिलाओं को ऐसे विकल्प प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है जो उन्हें जल्दी विवाह और विवाह में देरी करने में सक्षम बनायें।

जैसे-जैसे CEFMU प्रथाएं विकसित हो रही हैं और विवाहित लड़कियों के जीवन के अनुभव अलग-अलग होते हैं, उनकी चिंताओं, ज़रूरतों, आकांक्षाओं और समाधानों को समझने के लिये युवाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिये। CEFMU प्रथाओं का जेंडर-परिवर्तनकारी तरीके से सामूहिक रूप से विश्लेषण और समाधान किया जाना चाहिये ताकि लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने वाले विकल्प तैयार किये जा सकें। बाल विवाह को समाप्त करने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में सार्थक और समावेशी युवा भागीदारी और नेतृत्व महत्वपूर्ण है। असमान जेंडर मानदंडों को बदलने और मज़बूत अंतर-पीढ़ीगत और अंतर-अनुभागीय (इंटरसेक्शनल) आंदोलनों में उनके नेतृत्व को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के सभी स्तरों में शामिल किया जाना चाहिये।

5. अध्याय 5: वैश्विक शासन में परिवर्तन लाना

मानव अधिकारों और जेंडर समानता की कीमत पर प्रगति नहीं हो सकती। वैश्विक शासन प्रणालियों और संस्थानों को सभी प्रक्रियाओं और परिणामों में मानव अधिकारों और जेंडर समानता के सम्मान और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

वर्षों से, सरकारों और अंतर-सरकारी निकायों ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिये कई प्रतिबद्धताएं की हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधनों और निवेश के साथ इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। वैश्विक शासन प्रणाली को आमूल-चूल परिवर्तन से गुजरना होगा और प्रगतिशील, पुनर्वितरण और न्यायसंगत वैश्विक वित्तीय प्रशासन ढांचे की स्थापना करनी होगी जो गरीबी और जेंडर सामाजिक-आर्थिक असमानता के उन्मूलन को प्राथमिकता देते हैं, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य, विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सामाजिक सेवाओं में निवेश करते हैं। सरकारों को ऐसी सार्वजनिक नीतियों को अपनाना और कार्यान्वित करना चाहिये जो बच्चों और किशोरों की क्षमताओं को बढ़ाती हैं, जिसकी शुरुआत कानून के विषयों के रूप में प्रगतिशील स्वायत्तता की मान्यता से होती है जो उन्हें सम्मानजनक जीवन के निर्माण के लिये विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करती है।

यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक शासन सुधार व्यापक सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने को प्राथमिकता दे, जो सामाजिक सेवाओं में लगातार कम निवेश के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं। इस संदर्भ में कम से कम दो पहलू महत्वपूर्ण हैं: आक्रामक कर बचाव को संबोधित करना, जो उन देशों से धन चुराता है जो इसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिये कर सकते हैं जो बाल विवाह को रोकने में मदद करते हैं, इस स्थिति में महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा वैश्विक असमानता से निपटना है, जो कई देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को इतने अधिक कर्ज में डाल देता है कि उन्हें सार्वजनिक खर्च में कटौती करनी पड़ती है और लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकताओं की सूची में और भी नीचे रखना पड़ता है।

हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची

गर्ल्स नॉट ब्राइड्स: द ग्लोबल पार्टनरशिप टू एंड चाइल्ड मैरिज
ए रेडे डी कॉम्यूनिकैडोरेस एमिगोस दा क्रिएन्का (RECAC)
ए रेडे होमेंस पेला मुडान्का (HOPEM), मोज़ाम्बिक
ऐस (ACE) चैरिटी, नाइजीरिया
एक्शन होप मलावी, मलावी
एडवोकेसी फॉर चाइल्ड जस्टिस (ACJ), जाम्बिया
अफ़्रीकी गर्ल्स एम्पावरमेंट नेटवर्क, नाइजीरिया
अमरेफ (Amref) हेल्थ अफ़्रीका मलावी
एंग्लिकैम चिल्ड्रन प्रोग्राम, जाम्बिया
एसोसिएशन डी जोवेन्स फेमिनिस्टास अमेयल्ली, अल साल्वाडोर
एसोसिएशन सेर्निना, ग्वाटेमाला
एसोसिएकाओ कोलिज़ाओ दा जुवेंट्यूड मोकैम्बिकाना (COALIZAO)
एसोसिएकाओ मुल्हेर, लेई ई डेसेनवोलविमेंटो (MULEIDE), मोज़ाम्बिक
एसोसिएकाओ निवेनी (डी पेसोआस विवेन्डो कॉम एचआईवी, मोज़ाम्बिक
एसोसिएशन फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द डिगनिटी ऑफ वुमेनहुड (ROTDOW), नाइजीरिया
बजरब एजुकेशनल फाउंडेशन, नाइजीरिया
बेला फाउंडेशन फॉर चाइल्ड एंड मैटरनल केयर, नाइजीरिया
भाखर भितरोट आदिवासी विकास मंच, आबू रोड, सिरोही, राजस्थान, भारत
ब्रेन बिल्डर यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव (BBYDI), नाइजीरिया
कैरितास जाम्बिया
सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड ट्रांसफोरमेशन, मलावी
सेंटर फॉर चिल्ड्रेन ऐड (CCA), मलावी
सेंटर फॉर कोन्फ़्लिक्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन डेवलपमेंट अफ़्फ़ैर्स (CECOWDA), मलावी
सेंटर फॉर गर्ल्स एंड इंटरेक्शन (CEGI), मलावी
सेंटर फॉर गर्ल्स एडुकेशन, नाइजीरिया
सेंटर फॉर सोश्ल कंसर्न एंड डेवलपमेंट (CESOCODE), मलावी
सेंटर फॉर अन्फ़ोल्डिंग लर्निंग पोटैन्श्यल - CULP जयपुर, राजस्थान, भारत
सेंटर फॉर यूथ एम्पावरमेंट एंड सिविक एडुकेशन (CYECE), मलावी
चेनगेटो ज़िम्बाब्वे ट्रस्ट, ज़िम्बाब्वे
चाइल्ड एंड यूथ प्रोटेक्शन फाउंडेशन (CYPF) नाइजीरिया
चाइल्ड शील्ड इनिशिएटिव, नाइजीरिया
चॉइस फॉर यूथ एंड सेक्शुएलिटी
छोटानागपुर कल्याण निकेतन सिमडेगा, झारखंड, भारत

कोअलिशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स (CEWAG), मलावी
डेवलपमेंट रिसोर्स फॉर एम्पावरमेंट एंड एक्शन मेंटरशिप (DREAM), मलावी
डिगनिटी इनिशिएटिव जाम्बिया
डिवाइन एरा डेवलपमेंट एंड सोश्ल इनिशिएटिव (DEDASRI), नाइजीरिया
डाइनैमिक यूथ डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DYDO), नाइजीरिया
एडुकेट-हर मलावी
इक्वालिटी नाओ
फ़ैमिलीज़ आर नेशन्स (FAN), ज़ाम्बिया
फोरम फॉर कंसर्ण्ड यंग पीपल (FOCO-YOPE), मलावी
फोरम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ विथ डिसेबिलिटी (FDYD), मलावी
फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन राइट्स (FCR), मलावी
फ़ुलफ़िलिंग ड्रीम्स फ़ाउंडेशन (FDF), नाइजीरिया
फंडासियोन पैरा एस्टुडियो ई इन्वेस्टिगेशियोन डे ला मुजेर (FEIM)
फंडासिओन सेंडास (SENDAS), इक्वाडोर
जेनफामी कोलम्बिया
गर्ल चाइल्ड फ्रीडम एट द ग्रासरूट (GCFG), नाइजीरिया
गर्ल्स एम्पावरमेंट नेटवर्क
गर्ल्स वॉयस इनिशिएटिव, नाइजीरिया
गर्ल्स पावर इनिशिएटिव जीपीआई (GPI) नाइजीरिया
ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स राइट्स एडुकेशन एंड एम्पावरमेंट (GIGREE), नाइजीरिया
गॉड केयर्स राइट्स फाउंडेशन, मलावी
ग्राम चेतना केंद्र जयपुर, राजस्थान, भारत
ग्रासरूट्स मूवमेंट फॉर हैल्थ एंड डेवलपमेंट (GMHD), मलावी
हेल्प हेर हील जिम्बाब्वे
एचआईवी टेस्टिंग सर्विसेस प्रोवाइडर्स असोशिएशन (HPA), मलावी
हिवोस, जाम्बिया
होप अलाइव चाइल्ड नेटवर्क, जिम्बाब्वे
IKWRO – वुमेन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन, यूके
इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन - IPPF
ईसा वली एम्पावरमेंट इनिशिएटिव (IWEI), नाइजीरिया
जागो फाउंडेशन, गिरिडीह, झारखंड, भारत
जानकी वुमेन अवरेनेस्स सोसायटी, नेपाल
जन लोक कल्याण परिषद, झारखण्ड, भारत
जन सेवा परिषद, हज़ारीबाग झारखण्ड, भारत
जोवेनस लैटिडास, लैटिनोअमेरिका

करोंगा फॉर गर्ल्स विथ आ विज़न, मलावी
किड्स एंड टीन्स रिसोर्स सेंटर (K&TRC), नाइजीरिया
लैडर फॉर रुरल डेवलपमेंट, मलावी
लाइफ कंसर्न (LICO), मलावी
लाइफलाइन / चाइल्डलाइन जाम्बिया
लिफ्ट हर अप इनिशिएटिव, जाम्बिया
लोक कल्याण सेवा केंद्र, पाकुड़, झारखंड, भारत
लोक प्रेरणा केंद्र - चतरा, झारखंड, भारत
मैडज़िमावे फाउंडेशन, जाम्बिया
एमएआईसीसी (MAICC), मलावी
मार्टी कनेक्टिंग अफ़्रीका
मीडिया नेटवर्क ऑन चाइल्ड राइट्स एंड डेवलपमेंट (MNCRD), जाम्बिया
न्यिका इंस्टीट्यूट, मलावी
इंस्टिट्यूटो फ़ैनेलो या मीना (फ़ैनेलो या मीना), मोज़ाम्बिक
वन बिलियन राइजिंग, जाम्बिया
ऑर्गनाइज़ेशन ना'लेब'क, ग्वाटेमाला
ओरफंस फ्रेंड्स एंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट, ज़िम्बाब्वे
आउटरीच स्काउट फाउंडेशन, मलावी
ऑक्सफैम मलावी
पैन अफ्रीकन अलायंस टू एंड चाइल्ड मैरिज (PAAECM)
पीपल फॉर चेंज, जमशेदपुर, झारखंड, भारत
प्लान इंटरनेशनल
पॉप्युलेशन मैटर्स
प्रतिज्ञा, रांची, झारखंड, भारत
पीएसएचएएफ (PSHAF), जाम्बिया
रीज़नल साइकोलोजिकल सपोर्ट इनिशिएटिव (REPSSI), जाम्बिया
राइट टू प्ले मोज़ाम्बिक
रोटरी एक्शन ग्रुप फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, चाइल्ड एंड वुमेन हैल्थ
रोज़ारिया मेमोरियल ट्रस्ट, ज़िम्बाब्वे
सफ़रीना फाउंडेशन, ज़ाम्बिया
सहयोगिनी, बहादुरपुर (जैना) बोकारो, झारखंड, भारत
सेव द फ्युचर ऑफ चिल्ड्रेन इनिशिएटिव (SAFIN), नाइजीरिया
शामवारी येमवानासिकाना, जिम्बाब्वे
शांडुको चाइल्ड केयर, जिम्बाब्वे
शाइनिंग फ्युचर ज़ाम्बिया

शिव शिक्षा समिति रानोली टोंक राजस्थान, भारत
सोसायटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रुरल पीपल (SIRP), नाइजीरिया
सोरोप्टीमिस्ट इंटरनेशनल
एसओएस (SOS) चिल्ड्रन विलेज, जाम्बिया
टीम्स एडवांसिंग वुमेन इन एग्रिकल्चर (TAWINA), मलावी
द गर्ल्स लेगसी, जिम्बाब्वे
उलालो, मलावी
यूनासे (UNASSE), ए.सी., मेक्सिको
विकल्प संस्थान, राजस्थान, भारत
वारुका ट्रस्ट, ज़िम्बाब्वे
वुमेन एनवायरनमेंट एंड यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव (WOYODEV), नाइजीरिया
वुमेन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (WINET), नाइजीरिया
वुमेन इनिशिएटिव फॉर लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन इन अफ्रीका (वुमेन अफ्रीका), नाइजीरिया
वुमेन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन फाउंडेशन (WOTCLEF), नाइजीरिया
वुमेन यूनाइटेड फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट (WUEE), नाइजीरिया
वुमेन विंग ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया (WOWICAN) स्टेट चैप्टर, नाइजीरिया
वर्ल्ड फ़िट फ़ॉर चिल्ड्रेन (WOFIC), मलावी
यूथ आर्म ऑर्गनाइज़ेशन, मलावी
यूथ इनिशिएटिव फॉर कम्यूनिटी डेवलपमेंट (YICOD), मलावी
यूथ नेट एंड काउंसलिंग (YONECO), मलावी
यूथ वेव, मलावी